प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

सेवा में,

अपर निदेशक
क्षेत्रिय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र,
लखनऊ।

पत्रांक– 827/आठ-निर्माण   दिनांक– 30 जून, 2018

विषय :– अमृत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्को की निविदाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक– URC/382/24/2018–19 दिनांक– 11.06.2018 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पालिका परिषद जौनपुर स्थित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्यादेश एवं अनुबन्ध की विभागीय कार्यवाही पूर्ण करते हुए सम्बन्धित ठेकेदार (श्री हरिनाथ यादव) द्वारा स्थल पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। उक्त कार्य के कार्यादेश एवं अनुबन्ध की छायाप्रति तथा कार्य की स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

संख्या–   दिनांक–

प्रतिलिपि :–

1. मिशन निदेशक अमृत, नगरीय निकाय निदेशालय आठवां तल इन्दिरा भवन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष महोदया नगर पालिका परिषद जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   56AD 009850

समक्षः— अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर

हलफनामा मिनजानिब हरिनाथ यादव पुत्र स्व० सोहई यादव

निवासी बक्सरवाँ जिला जौनपुर हस्ब जैल हूँ।

1— मै बहलफ बयान करता हॅ कि मै नगर पालिका परिषद जौनपुर के निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार हूँ।

2— मैं बहलफ बयान करता हूँ कि नगरपालिका परिषद जौनपुर में पंडित दीनदयाल पार्क के निर्माण कार्य का ठेका रू० 3495000—=00 का प्राप्त किया है।

3— मैं बहलफ बयान करता हॅ कि मुझे नियमानुसार जमानत के रूप में अनुबन्ध भरा जाना है, जिसमें मैने प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊ के आदेश सं0 स0वि0का0नि0–5–1712/ग्यारह–2006–500 (डब्लू–29)/2005 दिनांक 02–05–2006 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नियोजित रिट याचिका सं0 35097/2004 पर मे0 स्ट्रॉ, कन्सट्रक्शन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिये गये निर्देशानुसार रू 100/– स्टैम्प पर अनुबन्ध भर कर दिया है।

4— मैं बहलफ बयान करता हॅ कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में उक्त रिट याचिका में आदेश पारित होने पर तदनुसार उसका पालन पूर्णरूपेण करूँगा।

उपरोक्त मजमून मेरे इल्म जाति से सच व सही है, कोई बात न झूठ है और न छिपाई गई है। ईश्वर मेरी मदद करे।

Hari Nath
Sohai Yadav

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

रामजी सहाय
उपरोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EE 818975

अनुबन्ध–पत्र

आज दिनांक 18-6-18 को यह अनुबन्ध नगर पालिका परिषद, जौनपुर प्रथम पक्ष तथा हरिनाथ यादव पुत्र स्व० सर्वदेई यादव .... नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया।

1. यह कि द्वितीय पक्ष निविदा पत्र दि0– 10-4-2018 की शर्तो के अनुरूप इस कार्य का ठेका प्रथम पक्ष नगर पालिका परिषद, जौनपुर के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के आदेश दि0 18-5-18 द्वारा ... (अन्त्येष्टि स्थल) ... दीनदयाल पार्क ... रू0 3495000=00 का प्राप्त किया है।
2. यह कि इस निर्माण कार्य को द्वितीय पक्ष निर्धारित अवधि 4 माह के अन्दर पूरा कर देगा। यदि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा न करेगा तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह प्रतिदिन 100/– की दर से अथवा अनुबन्ध में उल्लिखित कार्य की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को मियाद बढाने का अधिकार आवश्यकतानुसार होगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष ने कार्य पर 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि मु0 349500=00 का एफ0डी0आर/सी0डी0आर0/डी0आर0/एन0एस0सी0/नगद रसीद सं0 T.D.R. 6094909 / 174113 दिनांक 18-6-18 / 9-4-18 व 174027 रू0 210000=00 / 70000=00 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, जौनपुर के पास जमा कर दिया। अगर द्वितीय पक्ष काम 28/08-2-18 अन्दर मियाद/खत्म पूर्ण न करेगा तो नगर पालिका को अधिकार होगा कि धारा–2 में से मुनासिब मिन्हॉ कर लें।
4. ₹5000+5000 यह कि प्रथम पक्ष को कार्यादेश प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा यदि कार्य प्रारम्भ नही करता है तो जमानत धनराशि एवं धरोहर धनराशि को जब्त करके ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा
5. यह कि द्वितीय पक्ष निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूरा करने में असमर्थ अथवा किसी कारणवश असफल रहता है, तो उसे निर्धारित अवधि के अन्दर ही अवधि बढ़ाने हेतु स्वयं उपस्थित होकर/रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थना पत्र देना होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य कराते समय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेगा। कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग में कराना अनिवार्य होगा अन्यथा भुगतान रोका जायेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही कार्य करेगा।
8. यह कि निर्माण कार्य कराते समय या बाद में यदि यह जानकारी में आये कि कार्य में सामग्री का प्रयोग निर्धारित मानक के अनुसार नहीं किया गया है और कार्य खराब हुआ है तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि उसे गिरवा दें/उखड़वा दे ऐसी दशा में पुनः निर्माण कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, जिसका अतिरिक्त भुगतान पाने का उसे कोई अधिकार ठेकेदार को न होगा।
9. यह कि ठेकेदार निर्माण कार्य में लगने वाली निर्माण सामाग्री मसाला निर्धारित मानक के अनुसार करेगा तथा लगाने से पहले अवर अभियन्ता नगर पालिका परिषद, जौनपुर को दिखाकर पास कराने के बाद ही इस्तेमाल करेगा, बिना पास शुदा कोई मसाला/सामग्री कार्य में प्रयोग नही करेगा।

–31/n

10. यह कि कार्य प्रारम्भ करने के बाद द्वितीय पक्ष बिना किसी उचित कारण, के यदि काम पूरा न करके अथवा निर्धारित अवधि में कार्य पूरा न करे तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष का ठेका समाप्त कर दे और ठेकेदार की जमानत जब्त कर ले तथा शेष कार्य को पूरा करने मे यदि कोई अतिरिक्त व्यय हो तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

11. यह कि ठेकेदार कार्ययोजना के क्रियान्वयन/निर्माण के साथ-साथ उसके अगले 05 वर्षो तक रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा, जमानत धनराशि रख-रखाव अवधि बीतने के पश्चात ही वापस की जायेगी।

12. यह कि ठेकेदार द्वितीय पक्ष नगर पालिका परिषद, जौनपुर से कार्य की मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर नियमानुसार भुगतान पाने का अधिकार होगा।

13. शासनादेश के अन्तर्गत नियमानुसार ठेकेदार के बिल से आयकर, जी0एस0टी0, श्रमकर एवं रायल्टी आदि की कटौती की जायेगी।

14. कार्यादेश में उल्लिखित धनराशि से 10 प्रति0 तक के कार्य का पुनरीक्षण व्यय अनुमान का कार्य द्वितीय पक्ष को करना होगा।

15. निविदा में दिये गये किसी भी आइटम की घट-बढ़ पर ठेकेदार को काई अधिकार न होगा। कार्य स्थल पर जितना कार्य करेगा उसी के भुगतान पाने का अधिकार होगा।

16. निविदा में दिये गये किसी भी आइटम को आवश्यकतानुसार स्थल पर कराने या न कराने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। इसका कोई दावा ठेकेदार का न होगा।

17. एकस्ट्रा आइटम का भुगतान निविदा/शेडयूल में दी गई दरों के आधार पर ही किया जायेगा, जो आइटम शेड्यूल के न होगें का भुगतान बाजार भाव की न्यूनतम दर पर किया जायेगा।

18. कार्यस्थल पर अवस्थित किसी भी सम्प्रदाय/धर्म की संरचना आदि के साथ काई छेड़छाड नही की जायेगी, इसका उत्तरदायित्व एकल रूप से द्वितीय पक्ष पर होगा।

19. कार्य को पूरा किये जाने से पहले रोक देने या आंशिक कार्य कराने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर को होगा।

20. यह कि उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन द्वितीय पक्ष द्वारा किये जाने की स्थिति में ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

ठेकेदार नगर पालिका परिषद, जौनपुर	अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर	अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, जौनपुर

कार्यालय- नगर पालिका परिषद, जौनपुर

दिनांक 26/5/10

सं० मैमो/8112

श्री हरिनाथ यादव
बदरखाँ - बैआरमपुर
जौनपुर

विषय- पं० दीन दयालउपाध्याय पार्क का निर्माण कार्य।

उपरोक्त कार्य के निमित आपको सहमति पत्र/टेण्डर/कोटेशन दिनांक 10.6.10 के क्रम में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति दिनांक 18.5.10 द्वारा रुपया- 3495000=00 की दर पर स्वीकृत प्रदान किया है। साथ ही पार्क के रख-रखाव हेतु रुपया- 279000=00 की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप जमानत की धनराशि रू0 3,49,500=00 एन0एस0सी0/के0वी0पी0/एफ0डी0आर0 को अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, जौनपुर के पदनाम से प्लेज्ड होगा तथा स्टैम्प पेपर पर मु0 27960=00 के इस पत्र के पाने के दिनांक से सात दिन के अन्दर प्रेषित कर अनुबन्ध की औपचारिकता पूर्ण कर लेवें। श्री किशोर कुमार अवर अभियन्ता से इस कार्य के सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित करें।

कार्य अत्यन्त अवश्यक है। कार्यादेश प्राप्त करते ही कार्य दिनांक 28.5-10 से आरम्भ करके दिनांक 27.9-10 तक समाप्त कर देंवे। निर्धारित अवधि तक औपचारिकता न पूर्ण करने व निर्देशित समय से कार्य प्रारम्भ न करने पर उक्त आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पा0 परिषद, जौनपुर

सं0

दिनांक

प्रतिलिपि- अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, जौनपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को इस आशय से कि वह कार्य की मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें और यह भी देख लें कि जमानत का रूपया व स्टैम्प पेपर पालिका में जमा हो गयें है। साथ ही यह भी देख ध्यान रखें कि कार्य निर्धारित समय के अन्दर समाप्त हो जाना है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पा0 परिषद, जौनपुर

Uttar Pradesh Tenders eProcurement System Government of Uttar Pradesh

AOC Summary

Date : 04-Jun-2018 03:58 PM

Print

Organisation Chain	Directorate of Local Bodies UP||Nagar Palika Parishad Jaunpur Jaunpur
Tender ID :	2018_DOLBU_174711_1
Tender Ref No :	2184/8 Nirman
Tender Title :	Civil work
Cover System :	2

Contract Date :	**28-May-2018**
Contract Value :	**INR 3495000.00**
Work Completion Period (in days) :	**120**
AOC document :	AOC.pdf (**249.00 KB**)
AOC Description :	**workorder**

Awarded Bids List

S.No	Bid Number	Bidder Name	Awarded Currency	Awarded Value
1	619777	HARINATH YADAV	INR	3495000.00

Congratulations! You have been awarded the contract for this tender.

Tender Inviting Authority